B — कौशल एवं अवसर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विकास एवं सुविधा कार्यालय

यह संस्थान क्या है

MSME-DFOs (MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय) केंद्र सरकार के कार्यालय हैं जो पूरे राज्य अथवा क्षेत्र में MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) का समर्थन करते हैं। ये MSME मंत्रालय (MoMSME) से संबंधित हैं तथा नई दिल्ली में विकास आयुक्त (DC-MSME) के अधीन कार्य करते हैं। MSME-DFO जिला कार्यालय नहीं है। विकास आयुक्त (MSME) राज्य की राजधानियों तथा प्रमुख औद्योगिक शहरों (जैसे आगरा, इंदौर, जयपुर, करनाल, पटना) में MSME-DFOs का राष्ट्रीय नेटवर्क संचालित करते हैं, जिसका समर्थन ब्रांच MSME-DFOs तथा कुछ ही विकास नाभिक प्रकोष्ठ (लद्दाख, लक्षद्वीप) करते हैं। प्रत्येक DFO अनेक जिलों को कवर करता है, जबकि प्रत्येक जिले में दिन-प्रतिदिन की MSME सहायता राज्य-संचालित DIC (जिला उद्योग केंद्र) द्वारा प्रदान की जाती है। MSME-DFOs विकास आयुक्त (MSME) के क्षेत्र-कार्यालय हैं जो अपने बहु-जिला क्षेत्राधिकार में MSME मंत्रालय की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं; उनके कार्य प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण अथवा सब्सिडी के बजाय वित्त एवं बीमा तक पहुँच, प्रौद्योगिकी एवं सामान्य सुविधा अवसंरचना, उद्यम, GST एवं GeM पंजीकरण के लिए सतत मार्गदर्शन, तथा उद्यमिता / क्लस्टर / पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रमों तक विस्तृत हैं।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप एक निःशुल्क उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, अपने क्लस्टर की सामान्य सुविधा आवश्यकताओं के लिए सहायता चाहते हैं, अथवा प्रधानमंत्री (PM) विश्वकर्मा हेतु पात्र पारंपरिक कारीगर हैं, तो MSME-DFO वह केंद्रीय सरकारी कार्यालय है जो आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम संचालित करता है।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006	MSME संवर्धन एवं सुविधा का ढाँचा
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)	सामान्य सुविधा केंद्रों एवं अवसंरचना के लिए क्लस्टर सहायता मानदंड
पीएम विश्वकर्मा (PM Vishwakarma) योजना	18 पारंपरिक व्यवसायों के लिए कारीगर पहचान, स्क्रीनिंग, प्रशिक्षण एवं ऋण
DC-MSME प्रशासनिक आदेश	DFO क्षेत्राधिकार, स्टाफ़िंग एवं कार्यक्रम बजट

- **केंद्र:** MSME मंत्रालय → DC-MSME (नई दिल्ली)
- **क्षेत्रीय:** MSME-DFO (निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में)
- **उप-क्षेत्रीय:** ब्रांच MSME-DFOs (सहायक निदेशक की अध्यक्षता में)
- **संस्थागत निरीक्षण (जिला-इंटरफ़ेस निकाय):**
- **MSMEs को ऋण पर स्थायी सलाहकार समिति** (राज्य स्तर) — MSMEs के लिए बैंकिंग पहुँच की समीक्षा करती है; SLBC (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) को नीतिगत अनुशंसाओं का समन्वय करती है
- **राज्य MSME सलाहकार समिति** — MSME नीति पर राज्य सरकार को सलाह देती है; MSME-DFO केंद्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है
- **वित्त-पोषण:** पूर्णतः केंद्रीय (MSME मंत्रालय बजट)

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
निदेशक / संयुक्त निदेशक	कार्यालय प्रमुख; योजना निरीक्षण, मंत्रालय, राज्य सरकारों एवं बैंकों के साथ संपर्क
उप निदेशक	सांख्यिकी, जिला औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण, निगरानी
सहायक निदेशक	पोर्टफ़ोलियो: सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP), उद्यम पंजीकरण, ऋण, पीएम विश्वकर्मा, राज्य समन्वय
प्रशिक्षक	उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) तथा प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) प्रशिक्षण संचालित करते हैं

अनिवार्य सेवाएँ

- प्रत्येक जिले के लिए व्यवहार्य क्षेत्रों की पहचान करने वाले जिला औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण (DIPS) तैयार एवं अद्यतन करना; आकांक्षी जिलों के लिए जिला विकास योजना तैयार करना
- व्यवहार्य सूक्ष्म एवं लघु-स्तरीय उत्पादों के लिए परियोजना प्रोफ़ाइल विकसित करना (विनिर्देश, पूँजी, जनशक्ति, बाज़ार, आपूर्तिकर्ता) तथा बैंक वित्त-पोषण तलाशते समय उद्यमियों के उपयोग हेतु मॉडल परियोजना रिपोर्ट प्रदान करना, रिपोर्ट को अनुकूलित करने पर DFO मार्गदर्शन सहित
- नए उद्यमियों, अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST), महिलाओं तथा ग्रामीण युवाओं के लिए निःशुल्क ESDP एवं MDP प्रशिक्षण (2-6 सप्ताह) संचालित करना
- पीएम विश्वकर्मा कार्यान्वित करना: पात्र पारंपरिक कारीगरों की पहचान, स्क्रीनिंग समितियों का नेतृत्व, प्रशिक्षण एवं टूलकिट पहुँच को सुगम बनाना
- MSME क्लस्टरों की पहचान करना, नैदानिक अध्ययन तैयार करना, MSE-CDP के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्रों (CFCs) हेतु प्रस्तावों को सुगम बनाना
- उद्यम पंजीकरण, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ऑनबोर्डिंग, वस्तु एवं सेवा कर (GST) अनुपालन तथा बौद्धिक संपदा संरक्षण को समर्थन देना
- प्रत्येक DFO में एक उद्यमी विकास प्रकोष्ठ (EDC) चलाना, जो त्रैमासिक ऋण सुविधा कार्यक्रम आयोजित करता है — उद्यमी EDC पूर्व-जाँच के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ एक-से-एक चर्चा हेतु व्यावसायिक प्रस्ताव लाते हैं
- MSME-DFO अधिकारी जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं — DLRC जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है तथा RBI लीड बैंक योजना के अंतर्गत अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा संचालित होती है — ताकि MSMEs के लिए ऋण-संबंधी मुद्दों को उठाया जा सके
- MSME-DFOs राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के सदस्य हैं, जो राज्य स्तर पर RBI लीड बैंक योजना को कार्यान्वित करती है तथा MSME क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह की निगरानी करती है
- ऋण-प्रवाह मुद्दों को बैंकों को आगे निर्देश हेतु बढ़ाने के लिए RBI MSME पर राज्य-स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति का उपयोग करना
- CHAMPIONS (Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength) पोर्टल पर MSME शिकायतों का समाधान करना

संबंधित योजनाएँ

- **पीएम विश्वकर्मा (PM Vishwakarma)** — 18 पारंपरिक कारीगर व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण, टूलकिट तथा ऋण समर्थन
- **MSE-क्लस्टर विकास कार्यक्रम** — सामान्य सुविधा केंद्र तथा क्लस्टर अवसंरचना
- **ESDP/MDP** — निःशुल्क 2-6 सप्ताह उद्यमिता एवं प्रबंधन प्रशिक्षण
- **CHAMPIONS** — champions.gov.in पर MSMEs के लिए शिकायत निवारण
- **उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration)** — कैम्प-मोड सुविधा के माध्यम से MSME पंजीकरण एवं औपचारिकीकरण

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: dcmsme.gov.in — DFOs तथा ब्रांच कार्यालयों की संपर्क एवं क्षेत्राधिकार सहित पूरी सूची

यह भी: DIC के महाप्रबंधक से पूछें — DFOs DICs के साथ नियमित रूप से समन्वय करते हैं; अलग-अलग DFO वेबसाइट: जयपुर (msmedijaipur.gov.in), आगरा (msmediagra.gov.in), करनाल (msmedikarnal.gov.in), इंदौर (msmeindore.nic.in)

प्रमुख सुविधाएँ

एक MSME-DFO कार्यालय में होना चाहिए: अधिकारी कक्ष एवं बैठक कक्ष, 20-40 प्रतिभागी क्षमता वाले ESDPs एवं MDPs के लिए प्रशिक्षण कक्ष, उद्यम पंजीकरण एवं GeM ऑनबोर्डिंग के लिए कंप्यूटर एवं डिजिटल सुविधा प्रयोगशाला, तथा जिला औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण एवं योजना ब्रोशर सहित एक पुस्तकालय।

एक क्रियाशील MSME-DFO कैसा दिखता है

- जिले के लिए एक जिला औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण मौजूद है तथा हाल ही में अद्यतन किया गया है
- जिले में विगत 12 माह में ESDP/MDP प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हुए हैं
- जिले से पीएम विश्वकर्मा आवेदन स्क्रीन एवं अग्रेषित किए गए हैं
- क्षेत्राधिकार में सक्रिय MSE-CDP क्लस्टर कार्यान्वयन चरणों से गुज़र रहे हैं
- DFO अधिकारी जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं ऋण सुविधा बैठकों में भाग लेते हैं
- जिले में उद्यम पंजीकरण शिविर संचालित हुए हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु MSME-DFO के निदेशक / संयुक्त निदेशक होते हैं, अथवा विशिष्ट पोर्टफ़ोलियो के लिए, MSE-CDP, पीएम विश्वकर्मा अथवा उद्यम सुविधा संभालने वाले सहायक निदेशक। ऋण-संबंधी शिकायतों के लिए, MSME-DFO उद्यमी की ओर से LDMs, SLBC, RBI, तथा बैंक नियंत्रक कार्यालयों तक शिकायत बढ़ाएगा, तथा CHAMPIONS के माध्यम से दर्ज ऋण शिकायतों पर संबंधित बैंक नियंत्रक अधिकारी को अग्रेषित कर कार्रवाई करेगा।

सेवा के बाद। शिकायत नई दिल्ली में MSME मंत्रालय में DC-MSME तक बढ़ाई जाती है। MSMEs के लिए ऋण-संबंधी मुद्दे जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठकों में उठाए जाते हैं (RBI लीड बैंक योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में)।

बाहरी। CHAMPIONS पोर्टल (champions.gov.in) MSME मंत्रालय की समर्पित शिकायत-ट्रैकिंग प्रणाली है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, pgportal.gov.in) केंद्रीय शिकायत मार्ग है। पीएम विश्वकर्मा आवेदन मुद्दों के लिए, समर्पित योजना पोर्टल (pmvishwakarma.gov.in) में एक शिकायत मॉड्यूल है। जिला औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण (DIPS) / MSE-CDP कार्यान्वयन शिकायतें dcmsme.gov.in के माध्यम से जाती हैं।

—